

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-1/2018/आडिट-2-759/दस-2018-352(3)/17
लखनऊ दिनांक 31 मई, 2018
कार्यालय आदेश

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० के आदेश संख्या-अधि०/2016-17/क-18, दिनांक 30.06.16 द्वारा श्री उदय कुमार, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ० प्र० को प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पद पर तैनात किया गया था। निदेशक के आदेश संख्या-अधि./क-01(1 से 14 तक) दिनांक 20.04.18 द्वारा श्री उदय कुमार का स्थानान्तरण जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बहराइच के पद पर करते हुए तैनात किया गया है।

2- कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या- वी०सी०/163/018, दिनांक 17.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय हित में श्री उदय कुमार का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। वित्त अधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने पत्रांक-832/एफ०ओ०, दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी के निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को अवमुक्त भी नहीं किया गया है।

3- अतएव उक्त वर्णित स्थिति में श्री उदय कुमार लेखाधिकारी लखनऊ विश्वविद्यालय का जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बहराइच के पद पर किया गया स्थानान्तरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्या-आडिट-2-759(1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रो० सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 17.05.18 के क्रम में।
- 3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ० प्र० इलाहाबाद।
- 4- श्री एस० डी० मौर्य, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
- 5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।
- 6- संबंधित अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।